

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 10/2022 अपील सू.प्र.

## उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी जी बनाम लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड  
37 रीको 4 फेज, पुर रोड, भीलवाड़ा। अधिकारी, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

## अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

## निर्णय

दिनांक : 02.02.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 31.12.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थिया ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 946018 राशि 10.00 रुपये के साथ एक आवेदन दिनांक 12.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक सू.अ./2022/271 दिनांक 21.01.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी सूचना के कुल पृष्ठ संख्या 23 तैयार कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक 4401 दिनांक 10.12.2021 से अपीलार्थी को प्रतिलिपि शुल्क राशि जमा कराने हेतु सूचित किया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिलिपि शुल्क राशि जमा करा सूचना प्राप्त कर प्राप्ति रसीद जरिये हस्ताक्षर कर दी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अंतर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 02.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी

किया गया।



(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी  
भीलवाड़ा  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा